



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in. फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का
अधिकार

क्र०/तक०/1476
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक

28-02-2024

महाप्रबंधक

म0प्र0 जल निगम

मर्यादित परिकेई सिंगरौली

विषय:-

सिंगरौली जिले में बैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.4909 हे० वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (Proposal No. FP/MP/WATER/154522/2022)

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MBP 054/2023-BHO दिनांक 07.02.2024
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पृष्ठा. क्रमांक/एफ-5/1309/2023/10-11/1122 भोपाल, दिनांक 19.02.2024

-000-

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) से बैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली में प्रभावित रकवा 4.4909 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्रमांक आर.एफ. 92, 91, 90, 46, 37, 36, 35, 34, 28, 26, 25, 24, 23, 14, 12, 11, 10, 08, 07 तथा पी.एफ. 889, 888, 22, 21, 06, 04, 01 एवं वन परिक्षेत्र कर्जुआ का कक्ष क्रमांक आर.एफ. 17, 849 तथा पी.एफ. 844 वनभूमि कुल रकवा 4.4909 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	मद का नाम	रकवा (हे० में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	नेट प्रजेन्ट वैल्यू	4.4909	55,17,475/-	-	55,17,475/-
			55,17,475/-	-	55,17,475/-

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण रकवा 4.4909 हे० (out of 67.30 हे०) की राशि, प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151345/2022 से जमा करने हेतु लेख किया गया है। एवं एन.पी.वी. की राशि रु. 55,17,475/- (रु. पचपन लाख सतरह हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यूटी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी-2, कब्जा रसीद की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

पृ०क्र०/तक०/1477

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वन संरक्षक सीवा, वृत्त सीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Shri Anuj for
N.A.
Pantay



वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
सिंगरौली दिनांक 28-02-2024

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली